हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तृतीय सत्र

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2018/9 भाद्रपद,1940 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 46वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017);

(iii) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 1(3) के साथ पठित धारा 29(1) के अन्तर्गत श्री सदाशिव महादेव मन्दिर, ध्यूंसर, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्या: एल0सी0डी0-एच0(2)1/2018 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2018 को प्रकाशित; और

(iv) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 1(3) के साथ पठित धारा 29(1) के अन्तर्गत श्री कालीनाथ कालेश्वर मन्दिर, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश जोकि अधिसूचना संख्या: एल0सी0डी0-एच0(2)2/2018 दिनांक 02.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2018 को प्रकाशित ।

(2) **श्री किशन कपूर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **डॉ0 रामलाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री,** बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति के **32वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 129वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **15वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 143वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **82वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 180वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **पंचम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के सप्तम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री नरेन्द्र बरागटा**, दिनांक 13 अगस्त, 2018 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित शीर्षक **"गुम्मा में प्रोसेसिंग प्लांट न लगने की जांच शुरू, कहां खर्चे 17 करोड़ पता लगाएगी विजिलेंस"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(2) **श्री राकेश कुमार**, दिनांक 28 अगस्त, 2018 को दिव्य हिमाचल में प्रकाशित शीर्षक **"बिलासपुर में 17 मण्डी में डेंगू के 13 नए मामले"**, से उत्पन्न स्थिति की ओर **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(3) **श्री राकेश सिंघा,** "to call the attention of the **Forest Minister** to the situation arising out of exorbitant increase in the school bus fare in Shimla town. The Government may withdraw the steep hike."

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य:

श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री, "हिमाचल प्रदेश की पुरानी ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सम्बर्धन/पुनर्निर्माण की परियोजना" बारे वक्तव्य देंगे ।

6. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

श्री सुरेश भारद्वाज,शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-

(i) "That in pursuance of Section 18(f) of the Private Universities Act and Section 17(1) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Maharaja Agrasen University, Kallujhanda, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

(ii) "That in pursuance of Section 18(1)(f) of the Private Universities Act and Section 17(i) of the First Statutes of the Private Universities Act, two members of the State Legislative Assembly, are to be elected by the State Legislature for the term of two years in the Governing Body of Institute of Charted Financial Analysis of India(ICFAI) Baddi, District Solan", for a term of two years commencing from the date of publication of their being as Members of the Governing Body of the Private University subject to provisions of the first Statutes of the Private Universities."

7. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को, व्यक्तियों की भर्ती के सम्बन्ध में सिफारिशें करने और विभिन्न संस्थानों में सेवाओं के बारे में, अतिरिक्त कृत्य सौंपने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 10)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

8. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री नन्द लाल (66-रामपुर),** रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बाशल-कण्डा (सराहन) पर्यटन स्थल हेतु धनराशि का प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री पवन नैय्यर (3-चम्बा),** चम्बा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत डलहौजी से खजियार सड़क को चौड़ा करने तथा शीतकाल के दौरान खुली रखने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री आशीष बुटेल (19-पालमपुर),** पालमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भारी वर्षा से नामत: कुछेक सड़कों, पुलों व पैदल चलने वाले पुलों आदि को हुई क्षति बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(4) **श्री लखविन्द्र सिंह राणा (51-नालागढ़),** नालागढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नामत: भारी वर्षा/भूस्खलन से अवरूद्ध हुई सड़कों, पुलों व झुला पुलों आदि को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र दुरूस्त करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री जिया लाल (2-भरमौर),** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भरमौर के अन्तर्गत पांगी में मल प्रवाह योजना का कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(6) **श्री हर्षवर्धन चौहान (59-शिलाई),** जिला सिरमौर के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, रोनाहट में रिक्त पड़े प्राध्यापकों के पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(7) **श्री नन्द लाल (66-रामपुर),** जिला शिमला के ननखड़ी उप-तहसील के अन्तर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खमाड़ी, मझोली टिप्पर, कुंगल बाल्टी और शोली के भवन निर्माण हेतु शीघ्रातिशीघ्र धनराशि का प्रावधान करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(8) **श्री जिया लाल (2-भरमौर),** नागरिक अस्पताल, भरमौर हेतु नये भवन का निर्माण जनहित में शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(9) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बड़सर के अन्तर्गत लम्बे समय से बन्द पड़े बस रूटों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र बहाल करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

9. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

(1) **श्री राम लाल ठाकुर**, "दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 550 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी**, "दिनांक 23 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 564 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगी ।

(3) **श्री विक्रमादित्य सिंह**, "दिनांक 29 अगस्त, 2018 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

शिमला-171 004 यशपाल शर्मा,
दिनांक: 30 अगस्त, 2018 सचिव ।

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(तृतीय सत्र)

शुक्रवार, 31 अगस्त, 2018/ 9 भाद्रपद, 1940 (शक्) के लिए निर्धारित

अतारांकित प्रश्न सूची हेतु

शुद्धिपत्र

मद संख्या	शुद्धियां
171	"शहरी विकास मन्त्री" को **"मुख्य मन्त्री"** पढ़ा जाए ।

शिमला-171004 यशपाल शर्मा,

दिनांक: **30** अगस्त, 2018 सचिव।

****